(10 ~~97~~

बिहार सरकार

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग

सं0–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2010– 19

प्रेषक,

रवि परमार,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

अनौपचारिक रूप से परामर्शित

महालेखाकार, बिहार,
पटना ।

पटना, दिनांक– 14/2/11

विषयः– अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के आवासियों की दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि तथा संस्थान के रख–रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के प्रावधानों में संशोधन एवं दर वृद्धि की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के आवासियों की दैनिक आवश्यकता यथा भोजन, वस्त्र, दवा इत्यादि तथा संस्थान के रख–रखाव हेतु आवश्यक सामग्रियों के लिए पत्रांक–347, दिनांक–02.3.07 द्वारा पूर्व में निर्धारित दरों का मूल्य वृद्धि के कारण वृद्धि का प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन था ।

राज्य सरकार के सम्यक विचारोपरान्त अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्र/छात्राओं को समुचित एवं गुणवत्तायुक्त सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान दरों में संशोधन कर वृद्धि करने का निर्णय लिया है ।

2– दर पुनरीक्षण के आलोक में मदवार संशोधित दर निम्न प्रकार है जो संबंधित संस्थान के लिए उपलब्ध बजट शीर्ष के उपशीर्ष अन्तर्गत "सामग्री एवं पूर्तियाँ" इकाई मद से वहन किया जायेगा:–

क0	मद का नाम	संशोधित दर	
1	2	3	
1	भोजन (जलपान सहित)	वर्ग 1 से 5 तक 900/– रू0 प्रति छात्र प्रति माह	वर्ग 6 से 12 तक 1200/– रू0 प्रतिमाह प्रति छात्र
2	विशेष भोजन	वार्षिक 125/– रू0 प्रति छात्र	
3	वस्त्र	वर्ग 1 से 5 तक 1500/–रू0 प्रति छात्र प्रति वर्ष (कंडिका–3 में अंकित विवरणी–1 एवं 2 के अनुसार)	वर्ग 6 से 12 तक 1875/–रू0 प्रति वर्ष प्रति छात्र (कंडिका–3 में अंकित विवरणी–1 एवं 2 के अनुसार)
4	तेल, साबुन, सोडा	100/– प्रति छात्र प्रति माह	
5	दवा	100/– प्रति छात्र प्रति माह एवं बालिकाओं के लिए सेनेटरी नेपकीन हेतु अतिरिक्त 25/–रू0 प्रति माह प्रति छात्रा (विद्यालयों में 10 माह के लिए)	
6	पठन–पाठन सामग्री	वर्ग 1 से 5 तक 1000/–रू0 प्रति वर्ष प्रति छात्र ।	6 से 12 तक 1250/–रू0 प्रति वर्ष प्रति छात्र
7	परिवहन	25 आसन वाले संस्थान – 150/– रू0 प्रति माह 50 आसन वाले संस्थान – 300/– रू0 प्रति माह 100 आसन वाले संस्थान – 400/– रू0 प्रति माह 248 आसन वाले संस्थान – 600/– रू0 प्रति माह	

5

क्र0	मद का नाम	संशोधित दर
1	2	3
8	सफाई मद	25 आसन वाले संस्थान – एक स्वीपर को 104/– रू0 /न्यूनतम मजदूरी प्रति दिन के दर से 2704/ प्रतिमाह 50 आसन वाले संस्थान – एक स्वीपर को 104/– रू0 /न्यूनतम मजदूरी प्रति दिन के दर से 2704/ प्रतिमाह 100 आसन वाले संस्थान – दो स्वीपर को 104/– रू0 /न्यूनतम मजदूरी प्रति दिन के दर से 5408/ प्रतिमाह 248 आसन वाले संस्थान – पांच स्वीपर को 104/– रू0/न्यूनतम मजदूरी प्रति दिन के दर से 13520/ प्रतिमाह श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी के दर पर सफाई कर्मी को मजदूरी का भुगतान दिया जायेगा।
9	किरासन तेल	25 आसन वाले संस्थान – 600/– रू0 प्रति माह 50 आसन वाले संस्थान – 1200/– रू0 प्रति माह 100 आसन वाले संस्थान –2400/– रू0 प्रति माह 248 आसन वाले संस्थान –4800/– रू0 प्रति माह
10	खेल–कूद सामग्री /प्रतियोगिता क– प्रा0 विद्यालय ख– मध्य विद्यालय ग– उच्च विद्यालय	 6250/– रू0 वार्षिक 8750/– रू0 वार्षिक 12500/– रू0 वार्षिक
11	सांस्कृतिक कार्यक्रम,वार्षिकोत्सव, वागवानी इत्यादि क– प्रा0 विद्यालय ख– मध्य विद्यालय ग– उच्च विद्यालय	 9375/– रू0 वार्षिक 12500/– रू0 वार्षिक 18750/– रू0 वार्षिक
12	पुस्तकालय व्यय क– प्रा0 विद्यालय ख– मध्य विद्यालय ग– उच्च विद्यालय	 1250/– रू0 प्रति विद्या0/ वर्ष 5000/– रू0 प्रति विद्या0/ वर्ष 8750/– रू0 प्रति विद्या0/ वर्ष
13	दैनिक समाचार पत्र/ पत्रिका क– प्राथमिक विद्यालय ख– मध्य विद्यालय ग– उच्च विद्यालय	 2500/– रू0 प्रति विद्या0/ वर्ष 3750/– रू0 प्रति विद्या0/ वर्ष 5000/– रू0 प्रति विद्या0/ वर्ष
14	व्यवसायिक प्रशिक्षण (सामग्री सहित)	625/– रू0 प्रति छात्र/ वर्ष (वर्ग 1 से 5 को छोड़कर)
15	कम्प्यूटर प्रशिक्षण	625/– रू0 प्रति छात्र/ वर्ष
16	सूरक्षा गार्ड	श्रम संसाधन विभाग द्वारा निर्धारित दैनिक न्यूनतम मजदूरी के दर पर 3 गार्ड/प्रति विद्यालय (8 घंटे प्रति गार्ड) एक वर्ष के लिए

F:\Sanction-rate revision -10-11.doc

18/95

3– अनुमान्य देय पोशाक की सूची–

विवरणी–1

विद्यालय/छात्रावासों के छात्रों के पोशाक संबंधी तालिका

क्रमांक	मद का नाम	अवधि
1	2	3
1	शर्ट	2 प्रति वर्ष
2	पैंट	2 प्रति वर्ष
3	कुर्त्ता	2 प्रति वर्ष
4	पैजामा	2 प्रति वर्ष
5	गंजी	2 प्रति वर्ष
6	जांधिया	2 प्रति वर्ष
7	स्वेटर	2 प्रति वर्ष
8	तौलिया	1 प्रति वर्ष
9	चप्पल	1 प्रति वर्ष
10	जूता–मोजा	2 प्रति वर्ष

विवरणी– 2

विद्यालय/छात्रावासों के छात्राओं के पोशाक संबंधी तालिका

क्रमांक	मद का नाम	अवधि
1	2	3
1	फ्रॉक/कुर्ता/साड़ी	2 प्रति वर्ष
2	सलवार/पेटीकोट	2 प्रति वर्ष
3	ब्लाउज	2 प्रति वर्ष
4	नाईटी /नाईट सूट	2 प्रति वर्ष
5	समीज	2 प्रति वर्ष
6	अन्तः वस्त्र	2 प्रति वर्ष
7	स्वेटर	2 प्रति वर्ष
8	तौलिया	1 प्रति वर्ष
9	चप्पल	1 प्रति वर्ष
10	जूता–मोजा/सैन्डल	2 प्रति वर्ष

4– इसके अतिरिक्त प्रत्येक तीन वर्षों पर मच्छड़दानी, बेडसीट, कम्बल, चौकी, बर्तन, जुता, मोजा, फर्नीचर आदि उपलब्ध कराया जाता है जिसका दर आवश्यकतानुसार जिला स्तर पर गठित कय समिति द्वारा निर्धारित किया जायेगा ।

5– उपरोक्त दर एवं प्रावधानों में संशोधन के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है ।

6– यह आदेश 01–3–2011 के प्रभाव से लागू होगा।

7– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन,

14.2.11

(रवि परमार)

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2010– 19 पटना, दिनांक– 14/2/11

प्रतिलिपिः– विकास आयुक्त, बिहार/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/वित्त विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/उप सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/उप सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/बजट एवं सांख्यिकी कोषांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

सरकार के सचिव 14.2.11

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2010– 19 पटना, दिनांक–14/2/11

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव 14.2.11

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2010– 19 पटना, दिनांक–14/2/11

प्रतिलिपिः– निदेशक, गुलजारबाग प्रेस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित । अनुरोध है कि कृपया इसकी 1000 (एक हजार) प्रति मुद्रित कराकर इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें ।

सरकार के सचिव 14.2.11

(11)

बिहार सरकार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग
सं0–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2010–20

शुद्धि–पत्र

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश संख्या–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2010–19 दिनांक–14.2.11 के कंडिका–4 में उल्लिखित "जिला स्तर पर गठित क्रय समिति" के स्थान पर "प्रमण्डलीय उप निदेशक, कल्याण की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति" पढ़ा जाय।

2– इसे इस हद तक संशोधित समझा जाय।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2010– 20 पटना, दिनांक– 17/2/11

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार/योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग/वित्त विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/उप सचिव, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/उप सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/सभी उप विकास आयुक्त/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, कल्याण/सभी जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग/बजट एवं सांख्यिकी कोषांग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2010– 20 पटना, दिनांक–17/2/11

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार/उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक–3/आ0वि0(विविध)–02–18/2010– 20 पटना, दिनांक– 17/2/11

प्रतिलिपिः– निदेशक, गुलजारबाग प्रेस, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि कृपया इसकी 1000 (एक हजार) प्रति मुद्रित कराकर इस विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सरकार के सचिव।

I Sanctionorate revision -10-11.doc